FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर मुकाम................................

चैनाराम वगैरा बनाम वीरमाराम वगैरा।

किस्म मुकदमा राज आवेदन नं. 354/22 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/8/22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा O-9 R-13 CPC राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 07/9/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
07/09/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री रिछपालराम सियाग द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/10/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/10/2022	पेशुलाम फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को विप्रार्थी संख्या-1 की ओर से स्वीकार किया गया, लिहाजा प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिहं आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सख्या :–344 / 22

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. चैनाराम पुत्र राउराम 2. बाबुराम पुत्र लुम्भाराम 3. चिमाराम पुत्र लुम्भाराम 4. चुनाराम पुत्र लुम्भाराम 5. वालाराम पुत्र लुम्भाराम 6. घमण्डी पत्नि लुम्भाराम जाति जाट निवासी चोरालिया शहर तहसील गिडा जिला बाड़मेर		1. वीरमाराम पुत्र राउराम जाति जाट निवासी चोरालिया शहर तहसील गिडा जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गिड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी पी सी वास्ते निरस्त करने एकतरफा जारी प्रारम्भिक निर्णय व डिकी 14.10.2020 तथा अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.07.2022 .

उपस्थिति :– 1.श्री खेताराम जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

2. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता विप्रार्थी की ओर से

दिनांक:– 04/10/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

आदेश

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद सख्या 134/2020 अनवान विरमाराम बनाम चैनाराम वगैरा में पारित प्रारम्भिग निर्णय व डिकी दिनांक 14/10/2020 व अतिंम निर्णय व डिकी दिनांक 18/07/2022 को निरस्त कर मूल वाद को जवाब दाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने का इस न्यायालय मे पेश किया ।

संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी की सयुक्त खातेदारी कि भुमि के खेत खसरा नम्बर 283 रकबा 0.7 बीघा, व खसरा नम्बर 284 रकबा 190 बीघा मौजा चोरालिया पटवार हल्का शहर तहसील गिडा जिला बाडमेर मे आये हुई है। जिसके सम्बन्ध मे वादी ने अपने वाद मे 1/3 हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्ड प्रथक करने हेतु पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी को जरिये प्रथम पेशी पर नोटिस डाक से भेजे गये जो वादी को प्राप्त नही हुऐ तथा प्रथम नोटिस में दिनांक 14/09/2020 को प्रतिवादी के जवाब दावे हेतु नियत कि गई उसके बाद अगामी दिनांक 14/10/2020 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर उसी दिन वादी की और से साक्ष्य रेकर्ड पर लिये जाकर उसी दिन प्राथमिक डिकी जारी कर दी गई उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार गिडा द्वारा प्रतिवादीगण को बिना सुचित किये बिना एक पक्षिय विभाजन तैयार कर भेजा गया जिसके आधार पर दिनांक 18/07/2022 को अतिंम निर्णव व डिकी जारी कर दी गई ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिय नोटिस तलब किया गया विप्रार्थीगण सख्या 1 की और से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा वकालत नामा व इकबाली जवाब आवेदन पेश किया तथा प्रार्थी वकील व विप्रार्थी वकील की बहस चुनी गई तथा विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी के उक्त आवेदन को स्वीकार किया।

हमने प्रार्थना पत्र के सम्बध में प्रार्थी वकील व विप्रार्थी वकील के ईकबाली जवाब व बहस को सुना व प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न रेकर्ड व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् दावा एक पक्षीय प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14/10/2020 व अतिंम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/07/2022 को निरस्त करने के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद 134/2020 अनवान वीरमाराम बनाम चैनाराम में जारी एक पक्षीय प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14/10/2020 व अतिंम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/07/2022 राजस्व वाद संख्या 134/2020 अनवान वीरमाराम बनाम चैनाराम वगैरा को निरस्त किया जाकर निर्णित पत्रावली को पुनः बरामद कर रिकर्ड पर ली जाकर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को जवाब दाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये जाते है।

आदेश आज दिनांक 04/10/22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ)
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
सत्यमेव जयते
बायतु